

मध्य प्रदेश शासन  
पर्यटन विभाग,  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ TD/2/004/2022/Sec-1/तैंतीस  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/11/2022  
/09/2022

प्रबंध संचालक,  
मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड  
भोपाल (म०प्र०)।

विषय:- मध्यप्रदेश पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 की कंडिका 6 के अंतर्गत पात्र पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना पर पूंजीगत अनुदान की गणना हेतु पूंजीगत व्यय को परिभाषित करने, आवेदन पत्र एवं चेकलिस्ट निर्धारण तथा अनुदान स्वीकृति व वितरण प्रक्रिया तय करने बाबत।

--००--

1. मध्यप्रदेश पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 की कंडिका 6 में वर्णित पात्र पर्यटन परियोजनाओं में अनुदान की गणना हेतु पूंजीगत निवेश से तात्पर्य उस व्यय से लिया जायेगा जो परियोजना की स्थापना हेतु आवश्यक स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु किया गया हो। अतः निम्नानुसार मदों में कुल पूंजीगत व्यय को अनुदानों की गणना हेतु मान्य एवं अमान्य योग्य पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया जाता है:-

2.1 मान्य पूंजीगत व्यय (मूल पूंजीगत व्यय)

- 2.1.1 परियोजना हेतु निर्मित स्थायी भवन जो इकाई के स्वामित्व व प्रयोग में हों, इकाई के स्वामित्व की भूमि पर स्थित हों एवं जिनका इकाई के सुचारू संचालन हेतु निर्मित किया जाना आवश्यक हों
- 2.1.2 बाउंड्री वॉल
- 2.1.3 अंदरूनी सडकें, ड्रेनेज, प्रवेश द्वार
- 2.1.4 स्विमिंग पूल
- 2.1.5 स्टोर
- 2.1.6 किचिन
- 2.1.7 जल प्रदाय व्यवस्था (पाइप लाईन, टंकी, पंप-हाउस, जल शोधन संयंत्र आदि)
- 2.1.8 बाँयलर रूम एवं चिमनी

निरन्तर.....

म.प्र. टूरिज्म बोर्ड, भोपाल

अवक क्रमांक MD-3187

दिनांक 22/11/22

म. प्र. टूरिज्म बोर्ड  
आ. क्र. 1223  
भोपाल

57

- 2.1.9 वायु एवं जल प्रदूषण उपचार हेतु स्थापित संयंत्र, इंसीनरेटर आदि
- 2.1.10 सेंट्रलाईज एयर कंडिंशनिंग सिस्टम, वॉटर हीटिंग सिस्टम
- 2.1.11 पॉवर सब-स्टेशन, ट्रांसफार्मर, विद्युत लाईन, विद्युत पोल
- 2.1.12 डी.जी. पावर बैकअप (स्वयं के उपभोग हेतु)
- 2.1.13 दूरसंचार टॉवर - (स्वयं के उपयोग हेतु स्वयं स्थापित)
- 2.1.14 इलेक्ट्रिक लाईनिंग, वॉटर सप्लाय लाईनिंग, गैस/स्टीम सप्लाय लाईनिंग
- 2.1.15 स्थाई रूप से स्थापित साउंड, लाइट, पब्लिक एड्रेस एवं इंटरनेट सिस्टम व नेटवर्क।
- 2.1.16 विभिन्न अनुमतियों एवं कनेक्शन आदि प्राप्त करने के लिये जमा की गई स्थाई सिक्योरिटी डिपोजिट, पंजीयन शुल्क, स्टॉप ड्यूटी, डायवर्शन शुल्क आदि
- 2.1.17 अग्नि-शमन संयंत्र/सिस्टम एवं फायर ब्रिगेड
- 2.1.18 किचिन, लॉन्ड्री, हेल्थ क्लब, कनवेन्शन हॉल, एक्जीबिशन हॉल आदि अधोसंरचनाओं में स्थायी रूप से स्थापित मशीनरी एवं संयंत्र जिन्हे अन्यत्र स्थानांतरित करना संभव न हो
- 2.1.19 प्ले एरिया एवं पार्क में स्थापित स्थायी झूले, क्लाइम्बिंग वॉल व एम्यूजमेंट/प्लेइंग स्ट्रक्चर, स्थाई टेंट आदि
- 2.1.20 ऐसे अन्य स्थायी निर्माण/संयंत्र मशीनरी/ टूल-उपकरण जो परियोजना पूर्ण करने के लिये अथवा संचालन हेतु अतिआवश्यक हो
- 2.1.21 तकनीकी ज्ञान अर्जन (technical know how) शुल्क
- 2.1.22 कंसलटेन्सी चार्जेस
- 2.1.23 इंस्टालेशन चार्जेज ऑफ मशीनरी/ उपकरण/ सर्विसेज
- 2.1.24 संबंधित पर्यटन परियोजना की परिभाषा अनुसार स्थापना हेतु निर्मित आवश्यक अधोसंरचना, साधन, यंत्रोपकरण, संयंत्र, टूल्स, खेल उपकरण, एसेसरीज, मेंटेनेंस एवं रिपेयरिंग वर्कशॉप आदि
- 2.1.25 विभाग द्वारा आवंटित भूमि को पहुंच मार्ग से जोडने हेतु बनाई गयी सड़क, विद्युत प्रदाय हेतु किया गया व्यय जिसमें सब-स्टेशन निर्माण सम्मिलित होगा, जल प्रदाय हेतु डाली पाइप लाइन, बनाई पानी की टंकी, जल-मल/ सीवेज निकासी हेतु डाली गयी पाइप लाइन/बनाये गये सिस्टम आदि कामन इंफ्रास्ट्रक्चर (जन उपयोगी) पर किया गया स्थाई पूंजी निवेश स्थापना व्यय सहित।

निरन्तर .....

- 2.1.26 पर्यटक आवासीय स्थाई टेंट
- 2.1.27 सौर उर्जा/ बायो उर्जा प्रणाली
- 2.1.28 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम
- 2.2 अनुदान हेतु अमान्य योग्य पूंजीगत व्यय (अन्य पूंजीगत व्यय)
- 2.2.1 भूमि का मूल्य
- 2.2.2 साइट डेवलपमेंट, गार्डन, लैंड स्केपिंग आदि
- 2.2.3 कार्यशील पूंजी।
- 2.2.4 प्रीआपरेटिव एवं प्रिलिमिनरी व्यय
- 2.2.5 सेकेण्ड हैंड मशीनरी
- 2.2.6 ब्याज का पूंजीकरण
- 2.2.7 ट्रक, कार, वेन, पोलो कार्ट, ट्रेलर, ट्रेक्टर ट्राली, टेंकर और परिवहन के वाहन जो यातायात से संबंधित हो
- 2.2.8 उपभोग्य स्टोर्स स्कन्ध जो मरम्मत से संबंधित हो
- 2.2.9 लीज पर ली गयी संपत्तियाँ
- 2.2.10 फर्नीचर और फिक्चर्स कटलरी, क्राकरी, बर्तन, पेंटिंग्स, सजावटी वस्तुएँ, पंखे, हीटर, गीजर, स्प्लिट एवं विंडो एसी, पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र, कॉरपेट, परदे एवं फर्नीशिंग इत्यादि पर किया व्यय
- 2.2.11 ऐसी कोई भी संपत्ति जिसकी आयु 5 वर्ष से कम हो (टेन्ट को छोड़कर)
- 2.2.12 व्यावसायिक प्रयोजन से निर्मित दूकाने, आवास, आफिस आदि जो इकाई के स्वयं के उपयोग में न लिए जा रहे हों तथा जिनका बनाया जाना इकाई के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक न हो
- 2.3 कुल पूंजीगत व्यय- उपरोक्त 2.1 एवं 2.2 अनुसार मदों पर पर्यटन परियोजना स्थापना हेतु किया गया पूंजीगत व्यय कुल पूंजीगत व्यय माना जायेगा।
3. उपरोक्त के साथ ही अनुदान प्रक्रिया एवं पात्रता व पूंजीगत व्यय प्रमाणीकरण के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था नियत की जाती है :-
- 3.1 अनुदान का आन-लाइन/इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, इकाई द्वारा अधिकृत वित्तीय संस्था/बैंक को किया जावेगा (यदि इकाई द्वारा प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिये ऋण लिया है)। यदि इकाई ने ऋण नहीं लिया है तो भुगतान सीधे इकाई द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक खाते में किया जावेगा।

निरन्तर .....

537

- 3.2 यदि इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना पर केन्द्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना में अनुदान प्राप्त किया गया है तो इसकी जानकारी इकाई को प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को देनी होगी तथा इकाई को प्राप्त राशि घटाकर अनुदान की गणना की जायेगी। जानकारी छिपाये जाने की दशा में अनुदान राशि वसूली योग्य होगी।
- 3.3 यदि कभी भी यह प्रमाणित होता है कि, आवेदक द्वारा तथ्यों को छुपाकर अथवा गलत जानकारी देकर अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान स्वीकृति निरस्त कर, प्रदत्त अनुदान राशि की वसूली शासन के बकाया भू-राजस्व की भांति की जायेगी। इस संबंध में निर्णय लेने व कार्यवाही करने के लिए प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे।
- 3.4 ऐसे पूंजीगत व्यय को अनुदान गणना हेतु पात्र माना जायेगा, जो परियोजना के पूर्ण होकर व्यावसायिक गतिविधि प्रारंभ होने के दिनांक से 3 वर्ष पूर्व तक किया गया हो।
- 3.5 पूंजीगत व्यय के संबंध में इकाई को उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमांक 2.1 एवं 2.2 में दर्शित मदों पर उपरोक्त कंडिका 3.4 की अवधि में किये गये व्यय के संबंध में मदवार व्यय सूची सहित चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र मूल प्रति में निर्धारित प्रारूप (संलग्न परिशिष्ट -1) में प्रस्तुत करना होगा।
- 3.6 पूंजीगत अनुदान की पात्रता निवेशकर्ता को होगी। लीज पर परिसंपत्तियां लेकर परियोजना संचालन करने वाली इकाई अनुदान की पात्रता नहीं रखेगी। तथापि निवेशकर्ता को स्वतंत्रता होगी की वह परियोजना का संचालन (Operation) किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराये।
- 3.7 निवेशक केवल रिसोर्ट अथवा वेलनेस सेन्टर में से कोई एक अथवा दोनों के निर्माण पर अनुदान क्लेम कर सकता है। बशर्ते वह न्यूनतम परियोजना व्यय एवं विभाग द्वारा जारी गतिविधि परिभाषा में उल्लेखित मापदण्डों की पूर्ति करता हो।
- 3.8 निवेशको द्वारा आन्तरिक विद्युत/जल/ सड़क/ सीवेज आदि पर किया गया व्यय इस मद में सम्मिलित नहीं होगा। परंतु आवंटित भूमि पर बाहर से विद्युत/जल/पहुँच मार्ग / सीवेज / जल मल निकासी अधोसंरचना पर किया गया व्यय मूल प्रयोजन से पृथक माना जाकर उस पर न्यूनतम व्यय सीमा के अध्यक्षीन पृथक से पूंजीगत अनुदान देय होगा।
- 3.9 यदि निवेशक द्वारा एक ही भूमि परिसर में पृथक-पृथक पर्यटन परियोजना जो कि विभाग द्वारा अधिसूचित की गयी है, निर्मित करता है तो उसे न्यूनतम व्यय की सीमा के अध्यक्षीन तथा विभाग द्वारा जारी गतिविधि परिभाषा में वर्णित मापदण्डों के अनुसार परियोजनाओं की स्थापना करने पर प्रत्येक परियोजना पर पृथक-पृथक पूंजीगत अनुदान देय होगा बशर्ते प्रत्येक परियोजना पृथक-पृथक स्थापित की गयी हो।

निरन्तर .....

537

- 3.10 अनुदान क्लेम हेतु आवेदन पत्र एवं चेकलिस्ट संलग्न परिशिष्ट -2 अनुसार निर्धारित किया जाता है।
- 3.11 अनुदान प्रकरण निराकरण एवं अनुदान वितरण हेतु संलग्न परिशिष्ट-3 अनुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।
- 3.12 अनुदान प्रकरण निराकरण प्रक्रिया के पालन हेतु प्रारूप आदि निर्धारण व अन्य आवश्यक अनुदेश आदि जारी करने हेतु प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे।

संलग्न :- परिशिष्ट 1, 2 एवं 3

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(शिव शेखर शुक्ला)

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग

पृ० क्रमांक एफ TD/2/004/2022/Sec-1/तैंतीस  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक /09/2022

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. समस्त संभागायुक्त।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. आयुक्त, जनसंपर्क की ओर प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।
6. समस्त कलेक्टर्स।
7. आदेश पुस्तिका।

1  
प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग

पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान प्राप्त हेतु पात्र पर्यटन परियोजना की स्थापना हेतु किये गये पूंजीगत व्यय का चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र ।

प्रमाणित किया जाता है कि पूंजीगत अनुदान हेतु आवेदक इकाई मेसर्स ..... द्वारा स्थान..... पर पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 की कंडिका 6 अनुसार अनुदान हेतु पात्र परियोजना..... स्थापित की गयी है। इस परियोजना द्वारा दिनांक ..... से व्यावसायिक कार्य प्रारंभ किया गया है। परियोजना में व्यावसायिक कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 3 वर्ष पूर्व तक किया गया पूंजीगत व्यय निम्नानुसार है:-

क्र०	पूंजीगत व्यय का मद	व्यय राशि रु. में
1.	मूल पूंजीगत व्यय	
1.1	परियोजना हेतु निर्मित स्थायी भवन जो इकाई के स्वामित्व व प्रयोग में हो तथा इकाई के स्वामित्व की भूमि पर स्थित हों।	
1.2	बाउंड्री वॉल	
1.3	अंदरूनी सडके, ड्रेनेज, प्रवेश द्वार	
1.4	स्विमिंग पूल	
1.5	स्टोर	
1.6	किचिन	
1.7	जल प्रदाय व्यवस्था (पाइप लाईन, टंकी, पंप-हाउस, जल शोधन संयंत्र आदि)	
1.8	बॉयलर रूम एवं चिमनी	
1.9	वायु एवं जल प्रदूषण उपचार हेतु स्थापित संयंत्र, इंसीनरेटर आदि	
1.10	सेंट्रलाईज एयर कंडिशनिंग सिस्टम, वॉटर हीटिंग सिस्टम	
1.11	पॉवर सब-स्टेशन, ट्रांसफार्मर, विद्युत लाईन, विद्युत पोल	
1.12	डी.जी. पावर बैकअप (स्वयं के उपभोग हेतु)	
1.13	दूरसंचार टॉवर (स्वयं के उपभोग हेतु स्वयं स्थापित)	
1.14	इलेक्ट्रिक लाईनिंग, वॉटर सप्लाई लाईनिंग, गैस/स्टीम सप्लाई लाईनिंग	
1.15	स्थाई रूप से स्थापित साउंड, लाइट, पब्लिक एड्रेस एवं इंटरनेट सिस्टम व नेटवर्क	

53

1.16	विभिन्न अनुमतियाँ एवं कनेक्शन आदि प्राप्त करने के लिये जमा की गई स्थाई सिक्योरिटी डिपोजिट, पंजीयन शुल्क, स्टांप ड्यूटी, डायवर्शन शुल्क आदि	
1.17	अग्नि-शमन संयंत्र, सिस्टम एवं फायर ब्रिगेड	
1.18	किचिन, लॉन्ड्री, हेल्थ क्लब, कनवेंशन हॉल, एकजीबिशन हॉल आदि अधोसंरचनाओं में स्थायी रूप से स्थापित मशीनरी एवं संयंत्र जिन्हे अन्यत्र स्थानांतरित करना संभव न हो	
1.19	प्ले एरिया एवं पार्क में स्थापित स्थायी झूले, क्लाइम्बिंग वॉल व एम्यूजमेंट/ प्लेइंग स्ट्रक्चर, स्थाई टेंट आदि	
1.20	ऐसे अन्य स्थायी निर्माण/संयंत्र मशीनरी/ टूल-उपकरण जो परियोजना पूर्ण करने के लिये अथवा संचालन हेतु अति आवश्यक हो	
1.21	तकनीकी ज्ञान अर्जन (technical know how) शुल्क	
1.22	कंसलटेन्सी चार्जस	
1.23	इंस्टालेशन चार्जेज ऑफ मशीनरी/ उपकरण/ सर्विसेज	
1.24	संबंधित पर्यटन परियोजना की परिभाषा अनुसार स्थापना हेतु निर्मित आवश्यक अधोसंरचना, साधन, यंत्रोपकरण, संयंत्र, टूल्स, खेल उपकरण, एसेसरीज, मेंटेनेंस एवं रिपेयरिंग वर्कशॉप आदि	
1.25	विभाग द्वारा आवंटित भूमि को पहुंच मार्ग से जोड़ने हेतु बनाई गयी सड़क, विद्युत प्रदाय हेतु किया गया व्यय जिसमें सब-स्टेशन निर्माण सम्मिलित होगा, जल प्रदाय हेतु डाली पाइप लाइन, बनाई पानी की टंकी, जल-मल/ सीवेज निकासी हेतु डाली गयी पाइप लाइन/बनाये गये सिस्टम आदि कामन इंफ्रास्ट्रक्चर (जन उपयोगी) पर किया गया स्थाई पूंजी निवेश स्थापना व्यय सहित	
1.26	पर्यटक आवासीय स्थाई टेंट	
1.27	सौर उर्जा/ बायो उर्जा प्रणाली	
1.28	रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम	
	योग	
2.	अन्य पूंजीगत व्यय	
2.1	भूमि का मूल्य	
2.2	साइट डेवलपमेंट, गार्डन, लैंड स्केपिंग आदि	
2.3	कार्यशील पूंजी	

2.4	प्रीआपरेटिव एवं प्रिलिमिनरी व्यय	
2.5	सेकेण्ड हैंड मशीनरी	
2.6	ब्याज का पूंजीकरण	
2.7	ट्रक, कार, वेन, पोलो कार्ट, ट्रेलर, ट्रैक्टर ट्राली, टैंकर और परिवहन के वाहन जो यातायात से संबंधित हो।	
2.8	उपभोग्य स्टोर्स स्कन्ध जो मरम्मत से संबंधित हो	
2.9	लीज पर ली गयी संपत्तियाँ	
2.10	फर्नीचर और फिक्चर्स कटलरी, क्राकरी, बर्तन, पेंटिंग्स, सजावटी वस्तुएँ, पंखे, हीटर, गीजर, स्प्लिट एवं विंडो एसी, पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र, कॉरपेट, परदे एवं फर्नीशिंग इत्यादि पर किया गया व्यय	
2.11	ऐसी कोई भी संपत्ति जिसकी आयु 5 वर्ष से कम हो (टेन्ट को छोड़कर)	
2.12	व्यावसायिक प्रयोजन से निर्मित दूकाने, आवास, आफिस आदि जो इकाई के स्वयं के उपयोग में न लिए जा रहे हों तथा जिनका इकाई के संचालन में उपयोग नहीं हो रहा है, पर किया गया व्यय	
	<b>योग</b>	
<b>3.</b>	<b>कुल पूंजीगत व्यय बिंदु 1+2</b>	
<b>4.</b>	<b>पूंजी व्यवस्था</b>	
4.1	बैंक/ वित्तीय संस्था का नाम एवं प्राप्त ऋण राशि	
4.2	स्वयं इकाई की अंशदान राशि	
4.3	अन्य स्रोतों से प्राप्त (स्रोत सहित)	
	<b>योग</b>	

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रमाण पत्र अनुसार व्यय इकाई के लेखों, लेजर, बैंक खातों से सत्यापित किया गया है। उपरोक्त मदवार व्यय की पृथक-पृथक सूची एवं व्यय की गई राशि के बैंक स्टेटमेंट उपरोक्त प्रमाण पत्र के साथ संलग्न की गई है। व्यय उन्हीं मदों का प्रभावित किया गया है जिन पर वास्तवित व्यय किया जा चुका है व अधोसंरचना/निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

प्रमाण पत्र जारी करने का  
दिनांक  
स्थान

हस्ताक्षर  
चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का नाम, पंजीयन  
क्रं. एवं सदस्यता क्रं. यूनिफ कोड नं.  
पता एवं सील

UDIN .....

**Application Form for Claiming Capital Subsidy**  
[Under Clause 6 of Madhya Pradesh Tourism Policy 2016 amended 2019]

1	Name of Category of Tourism Project :- (please see clause – 6)	
2	Brief description about project: - (Not more than 60 words)	
3	Name and style of Unit: -	
4	PAN number	
5	Complete Postal Address of Unit with Pin Code, Telephone, Mobile No, Fax and Email Id :-	
6	Name of the Promoters/ owners/ company with a brief note on the business antecedents:- (Not more than 60 words)	
7	Name of legally authorized person on behalf of the unit to sign this application and subsidy papers, Designation, Mobile number and Email id :-	
8	Status of Owner/ Promoter	
	a) If public/private limited company with copies of Memorandum and Articles of Association	
	b) If partnership, a copy of partnership Deed and Certificate of Registration	
	c) If proprietary concern, name and address of proprietor/certificate of registration	
	d) In case of legal entity other than above a,b,c. Furnish the details and registration from competent authority.	
9	Registration number and date of establishment of certified firm/company/or other legal entity.	
10	Location of Unit with Postal address: - (with Place, Tahsil and District)	
11	Detail of Site:-	
	a) Land Record – Ownership Documents, Approved Khasra Map, Area	
	b) Title – Owned/ Leased with copies of sale/ lease deed	
12	Detail of project approvals:	
	a) Date of the building permission and name of appropriate authority: - (Attach copies)	
	b) Copy of the Map approved by the concerned authority: -	
13	Details of construction and installation of plant & machinery etc. Area/Building Infrastructure detail Numbers Size/Capacity	
	i Total Area	
	ii Total build up area	
	lii Open space area	
	iv No of Floor	
	v No of lettable Rooms	
	vi No of Bed	

537

	vii Main Hall	
	viii Other Halls	
	ix Meeting Rooms	
	x Kitchen	
	xi Restaurant	
	xii Stores	
	xiii Swimming Pool	
	xiv Parking	
	xv Other infrastructure created which necessary to run and operate the project.	
	xvi Details of plant, machinery apparatus installed in the unit, which is necessary to run/operate the project.	
	xvii Details of common infrastructure road/power/water/ savage etc. created (if the land is given by the department)	
14	Capital Structure	
	a) Total capital cost incurred (as certified by certified Engineer/Valuer)	
	b) Total Project Cost (As certified by certified CA) (in INR) i) Cost of Land : ii) Cost on building/other construction :- iii) Cost of machinery and other components :- iv) Other fixed assets :- v) Working capital :- Total :-	
	c) Financial arrangements (in INR) i) Loan from bank/financial institution ii) Share/promoters contributions iii) Name of bank/financial institution (Specify the details:- account number, IFSC code, bank and branch name etc.)	
15	Expenditure incurred/investment made on the project - as on date of commercial operation	
	i) Land and site development	INR
	ii) Building and construction	INR
	iii) Installation of plant/machinery/apparatus etc.	INR
	iv) Creation of project specific (please specify) other Construction/infrastructure/installation	INR
	v) Creation of common infrastructure i.e. road, power, water and sewage (if the land is provided by the department)	INR
	vi) Any other expenditure (please specify)	INR
16	Capital expenditure on which subsidy to being claimed . This should be in accordance with the attached annexure-1 (C.A. certificate to be attached)	INR
17	Subsidy claimed	INR
18	Proof of date of commercial operation a) Copy of first lodging bill :- b) Copy of first catering bill :-	

	c) Copy of first bill of service/facility provided d) Any other legally acceptable proof to prove the date of Commercial operation	
19	Coloured Photographs of Unit/Project from 03 different angles and one photographs of each facilities which is created.	
20	Detail of capital subsidy claimed/received from any other department of central Govt./state Govt. for this project	
21	Total number of permanent Employees in the unit	
22	Total number of permanent Employees in the unit who's residential of Madhya Pradesh	
23	Any other information, applicant feels necessary to be given for the claim.	

Note :-

1. All documents must be valid at the time of application.
2. All copies of documents submitted must be self-attested .
3. Madhya Pradesh Tourism Board can call for any additional documents, if required, from time to time.
4. The application form should be filled completely in all respect and requisite document should be attached with the application.

#### Declaration

I/We.....hereby undertake that :

I/we will abide by other conditions which may be stipulated by the Ministry of Tourism, Government of India and Government of Madhya Pradesh.

I/we hereby declare that above statements and enclosed documents are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any subsidy amount granted to me/us on the basis of the statement/documents furnished is liable to withdrawn and recovered with interest/penalty as decided by the authority as the case may be the government may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case, If it is found that any of the statements/ documents therein are incorrect or false.

Seal and Signature

(with Name,Address,Email ID and Contact Number of the authorised person)

Place :

Date :

53

**Checklist of Documents**

S.No	Documents	Remark
1	Name of the Promoters with a brief note on the business antecedents: (in not more than 60 words)	
2	Copy of proof of legal authorized person from unit	
3	Status of Owner/Promoter	
4	A) If public/private limited company with copies of Memorandum and Articles of Association	
	Or	
	B) If partnership, a copy of partnership Deed and Certificate of Registration	
	Or	
	C) If proprietary concern, name and address of proprietor/certificate of registration	
	Or	
	D) In case of legal entity other than above a,b,c. Furnish the details and registration from competent authority.	
5	Copy of certificate of establishment of firm/company	
6	Copies of Land Records	
	A) Ownership Documents	
	I. Certified Khasra	
	II. Site Map	
	V) Title - copy of registered sale deed or lease deed	
7	Copy of project report	
8	Certificate from HRACC (if applicable)	
9	Copy of certificate and certified MAP from town and country planning (TNCP)	
10	Copy of map sanctioned by the local authority (Municipal Corporation, Municipality etc.)	
11	Copy of the building permission granted by the appropriate authority	
12	Copy of Approved floor plan	
13	Completion certificate from competent authority	
14	Total project cost certificate certified by certified Engineer/Valuer	
15	Total capital cost certificate certified by CA	
16	Head wise ledger as per CA certificate	
17	Copies of Bank statement, against payments of expanses	
18	Debt details from concerned financial institution	
19	Details of loan account Certified by bank / Financial Institution	
20.	Proof of date of commercial operation-Photocopy of first	
	A) Lodging bill	
	B) Catering bill	
	C) Copy of first bill of service/facility provided	
	D) Any other legally acceptable proof to prove the date of commercial operation.	
21	Coloured Photographs of Unit/Project from 03 different angles and one photographs of each facilities which is created.	

37

22	Cancelled cheque of the firm/company	
23	Copy of PAN card	
24	Copy of photo ID proof (Aadhar card/Voter ID/Passport etc.)	
25	Copy of vender form as prescribed in format 11	
26	Copy of land diversion certificate (if applicable)	
27	Copy of Registration under Shop Establishment act (if applicable)	
28	List of Employees as prescribed in format 12 with their copies of Aadhaar card	
29	Copy of registration under Food safety standard act (if applicable)	
30	Copy of NOC from Pollution Control board under consent to operate.	
31	Copy of registration under Fire safety standard act (if applicable)	
32	Copy of registration of EPF (if applicable)	
33	Other documents if any.	

Seal and Signature of the applicant

537

मध्यप्रदेश पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 की कंडिका 6 के अंतर्गत पात्र पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना पर देय पूंजीगत अनुदान प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया ।

पर्यटन नीति के अंतर्गत उपरोक्त दिये जाने वाले अनुदानों एवं रियायतों के संबंध में आवेदक के द्वारा आवेदन करने से लेकर अनुदान का भुगतान करने तक के संबंध में निम्न प्रक्रिया का पालन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा किया जायेगा:-

1. आवेदकों के प्रबंध संचालक, म०प्र० टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत आवेदन [www.tourism.mp.gov.in](http://www.tourism.mp.gov.in) पर ऑन-लाइन स्वीकार किया जायेगा ।
2. निवेश संवर्धन प्रभाग के संचालक/ संयुक्त संचालक द्वारा Login कर प्रकरण प्राप्ति की जानकारी प्राप्त की जायेगी।
3. आवेदन पत्र एवं सहपत्र डाउनलोड कर परीक्षण हेतु निर्धारित प्रारूप में वरिष्ठ प्रबंधक /प्रबंधक/ सहायक प्रबंधक द्वारा आवेदन प्राप्ति के 05 कार्यालयीन दिवस में संयुक्त संचालक को प्रस्तुत किये जायेंगे। (प्रारूप प्रपत्र 1)
4. संयुक्त संचालक द्वारा प्रकरण व पात्रता का परीक्षण 04 कार्यालयीन दिवस में कर प्रकरण में त्रुटियों/कमियों को इंगित कर, पात्रता / अपात्रता इंगित कर अथवा पूर्ण पात्र प्रकरण होने पर तदनुसार उल्लेख कर प्रकरण संचालक (निवेश संवर्धन) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
5. संचालक (निवेश संवर्धन) द्वारा संयुक्त संचालक से प्राप्त आवेदन को 03 कार्यालयीन दिवस में प्रकरण पूर्ण-अपूर्ण होने व पात्रता/ अपात्रता की जानकारी सहित आगामी कार्रवाई हेतु अपर प्रबंध संचालक को प्रेषित किया जावेगा।
6. अपर प्रबंध संचालक द्वारा प्रबंध संचालक से 05 कार्यालयीन दिवस में प्रकरण पूर्ण-अपूर्ण होने व पात्रता/ अपात्रता की जानकारी पर निर्णय लेने हेतु प्रेषित करेंगे ।
7. प्रबंध संचालक द्वारा प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय सूचित किये जायेंगे:-
  - अ. प्रकरण अपूर्ण होने पर त्रुटिपूर्ति हेतु पूर्ण विवरण सहित पात्र प्रकरण में त्रुटिपूर्ति निर्देश दिए जायेंगे।
  - ब. अपात्र होने पर आवेदन निरस्ती आदेश दिया जायेगा ।
  - स. उपरोक्त सूचना पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालयीन पत्र द्वारा इकाई को दी जायेगी तथा ऑन-लाइन प्रणाली पर स्टेटस रिपोर्ट अपडेट की जायेगी ।

- द. प्रकरण अपूर्ण होने पर आवेदक को त्रुटिपूर्ति हेतु प्रथमतः 15 दिवस का समय दिया जायेगा। आवेदक की मांग पर अधिकतम 45 दिवस तक का समय दिया जा सकेगा। प्रकरण पूर्ण होने पर पुनः प्रबंध संचालक को प्रकरण पूर्ण होने के 03 कार्यालयीन दिवस में संचालक निवेश संवर्धन प्रभाग के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा। अधिकतम कुल 60 दिवस की समयावधि तक प्रकरण पूर्ण न होने दशा में इकाई का प्रकरण अमान्य करते हुए आवेदन मूलतः वापिस किया जायेगा। साथ ही इकाई को स्वतंत्रता होगी कि प्रकरण में त्रुटियों का निवारण कर निर्धारित प्रारूप में सम्पूर्ण जानकारी सहित पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 अंतर्गत पात्रता अनुसार इकाई के संचालन प्रारंभ के दिनांक से 01 वर्ष के भीतर पुनः ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। 01 वर्ष की समयावधि पश्चात् आवेदन मान्य योग्य नहीं होगा।
- ई. प्रकरण पूर्ण होने व इकाई पात्र होने पर प्रकरण में स्थल निरीक्षण कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुति हेतु निर्देश दिये जायेंगे।
6. प्रकरण की जाँच एवं स्थल निरीक्षण निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति द्वारा की जायेगी:-
- संचालक/ उपसंचालक वित्त, म.प्र. टूरिज्म बोर्ड, भोपाल
  - संचालक/ संयुक्त संचालक निवेश संवर्धन, म.प्र. टूरिज्म बोर्ड, भोपाल
  - क्षेत्रीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम अथवा प्राचार्य, क्षेत्रीय स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट (SIHM)/ फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट (FCI)। (जो भी परियोजना मूल्यांकन की दृष्टि से आवश्यक हो)
  - कार्यपालन यंत्री अथवा प्रतिनिधि, संबंधित कार्यालय, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम
7. प्रबंध संचालक से प्राप्त निर्देशानुसार समिति द्वारा प्रकरण में अभिलेखों की जाँच अधिसूचना में वर्णित चेकलिस्ट के आधार पर की जावेगी एवं स्थल निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण, इकाई को पूर्व सूचना प्रपत्र -2 अनुसार देकर उसकी उपस्थिति में किया जायेगा।
8. समिति द्वारा इकाई के अधिकृत व्यक्ति से प्रपत्र 3 अनुसार संतुष्टि पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
9. उपरोक्त समिति द्वारा संलग्न (प्रपत्र-4 में) संक्षेपिका तैयार कर अनुदान की राशि के भुगतान हेतु अनुशंसा संचालक निवेश संवर्धन के माध्यम से अपर प्रबंध संचालक /प्रबंध संचालक को प्रस्तुत की जावेगी। यह कार्रवाई 15 कार्यालयीन दिवस में पूर्ण कर ली जायेगी।
10. यदि समिति की अनुशंसा पर अपर प्रबंध संचालक /प्रबंध संचालक द्वारा कोई स्पष्टीकरण चाहा जाता है तो ऐसी दशा में 07 कार्यालयीन दिवस में समिति द्वारा प्रकरण की वांछित जानकारी पुनः स्वीकृति हेतु संचालक निवेश संवर्धन के माध्यम से अपर प्रबंध संचालक को प्रस्तुत की जावेगी।

53

11. अपर प्रबंध संचालक द्वारा 03 कार्यालयीन दिवस में समिति की अनुशंसा पर अभिमत सहित प्रबंध संचालक को अनुदान स्वीकृति एवं राशि भुगतान के निर्णय हेतु प्रेषित करेंगे ।
12. प्रबंध संचालक द्वारा 03 कार्यालयीन दिवस में समिति की अनुशंसा पर प्रकरण में स्वीकृति एवं राशि भुगतान हेतु निर्णय दिया जायेगा। आवेदन स्वीकृति आदेश संचालक निवेश संवर्धन द्वारा प्रपत्र -5 अनुसार जारी किया जावेगा ।
13. संचालक निवेश संवर्धन द्वारा स्वीकृति आदेश जारी करने के उपरांत बजट उपलब्ध होने की दशा में राज्य शासन की मद मांग संख्या 37 आयोजना मुख्य शीर्ष 3452 पर्यटन के अंतर्गत योजना शीर्ष 1271 पूंजीगत अनुदान अथवा जो भी बजट शीर्ष शासन द्वारा नियत किया गया हो, में प्राप्त राशि से भुगतान हेतु संचालक/ उपसंचालक (वित्त) को स्वीकृति 3 कार्यालयीन दिवस में जारी की जायेगी ।
14. संचालक/ उपसंचालक (वित्त) द्वारा राशि उपलब्ध होने पर 04 कार्यालयीन दिवस में अनुदान का भुगतान आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट खाते में ऑन-लाइन किया जावेगा। यदि आवेदक ने ऋण लिया है तो वह अनुदान का भुगतान उस संबंधित वित्तीय संस्थान/ बैंक के खाते में प्राप्त कर सकेगा । भुगतान की सूचना संचालक/ उपसंचालक (वित्त) द्वारा लेखी में संचालक निवेश संवर्धन को तत्काल सूचित किया जायेगा ।
15. राज्य शासन से इस मद में राशि प्राप्त करने/ उपलब्ध होने पर आहरण की कार्रवाई बजट/वित्त शाखा द्वारा की जावेगी ।
16. ऐसे अनुदान प्रकरण, जो त्रुटि पूर्ति एवं पर्यटन परियोजनाओं की परिभाषा अनुसार अधोसंरचना निर्माण न करने के कारण अमान्य कर दिये गये हो, ने यदि आवेदक द्वारा त्रुटि पूर्ति कर एवं आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण कर पुनः आवेदन किया जाता है, तो ऐसे प्रकरणों को उनकी पूर्व मूल नस्ती से ही त्रुटि पूर्ति के संदर्भ में प्रचलित (Process) किया जाये। ऐसे प्रकरणों में आवेदक से वे ही अतिरिक्त अभिलेख/प्रमाणीकरण आदि प्राप्त किये जायें जो त्रुटि पूर्ति से संबंधित हो तथा मूल आवेदन के साथ प्रस्तुत सभी दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों आदि को मान्य किया जाये ।
  - I. ऐसे प्रकरणों में आवेदक से प्रपत्र 6 अनुसार यह शपथ पत्र लिया जाये कि मूल आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये अभिलेखों, प्रमाणीकरण अनुमतियाँ आदि में कोई परिवर्तन नहीं है एवं उनका अनुदान प्रकरण पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर ही निराकरण हेतु मान्य किया जाये ।
  - II. ऐसे प्रकरणों में यह आवश्यक होगा कि आवेदक पर्यटन बोर्ड द्वारा पूर्व आवेदन पर दिये गये निर्णय दिनांक से 180 दिवस के भीतर त्रुटि पूर्ति एवं आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण कर आवेदन प्रस्तुत करे। उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाये।
  - III. ऐसे प्रकरणों में परीक्षण समिति, आवेदक द्वारा की गयी त्रुटि पूर्ति एवं अधोसंरचना निर्माण आदि की पुनः जांच कर प्रतिवेदन एवं अनुशंसा प्रस्तुत करेगी जिसके आधार पर प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

- IV. अधिक अनुदान पात्रता श्रेणियों हेतु प्रस्तुत आवेदनों जिनमें निरीक्षण में कम अनुदान पात्रता श्रेणी की पात्रता पायी गयी हो, का निराकरण कम अनुदान श्रेणी पात्रता अनुसार अनुदान प्राप्त करने की सहमति बाबद प्रपत्र 7 अनुसार शपथ पत्र आवेदक से प्राप्त कर किया जाये। यदि आवेदक उक्तानुसार शपथ पत्र निरीक्षण दिनांक से 30 दिवस में प्रस्तुत नहीं करता है तो आवेदन निरस्त कर इकाई को सूचित कर दिया जाये। उक्त समयावधि पश्चात प्राप्त शपथ पत्र मान्य न किए जायें ।
17. पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 की कंडिका 6.16 के अन्तर्गत "दूरस्त/ दुर्गम नवीन क्षेत्रों में पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना पर अतिरिक्त अनुदान हेतु - इकाई स्थल की 10 कि.मी. की परिधि में इकाई श्रेणी की अन्य पर्यटन परियोजना स्थापित न हो | के संबंध में प्रारूप प्रपत्र 8 एवं 9 अनुसार इकाई से प्रमाणीकरण प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
18. लोक सेवाओं की गारण्टी अधिनियम में अधिसूचित सेवा होने के कारण पात्र पूर्ण पूँजीगत अनुदान प्रकरण का निराकरण पूर्ण आवेदन प्राप्ति दिनांक से 45 दिवस में किया जायेगा ।
19. पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 की कंडिका 6.18 (i) अनुसार अनुदान लाभान्वित इकाई द्वारा अनुदान प्राप्त करने के दिनांक से आगामी 03 वर्षों तक प्रारूप 10 अनुसार निरंतर संचालित रहने का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा ।
20. पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 की कंडिका 6.21 अनुसार अनुसूचित जनजाति/ जाति के उद्यमियों को विशेष अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदक द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन के साथ संलग्न किया जाये । फर्म एवं कंपनी की दशा में समस्त प्रवर्तकों / पार्टनर्स/ डायरेक्टर्स अनुसूचित जनजाति/ जाति का होना आवश्यक होगा ।
21. किसी भी प्रकरण में प्रबंध संचालक द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा ।

  
प्रमुख सचिव  
पर्यटन विभाग

मध्य प्रदेश पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 की कंडिका 6 के अंतर्गत पात्र पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना पर देय पूँजीगत अनुदान प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रियान्तर्गत प्रकरण परीक्षण नोटशीट एवं चेकलिस्ट ।

विषय:-पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 की कंडिका 6 अंतर्गत .....(इकाई का नाम) को .....(परियोजना का नाम) की स्थापना पर पूँजीगत अनुदान स्वीकृत बावत् ।

विषयान्तर्गत .....(इकाई का नाम) से प्राप्त प्रकरण पत्र दिनांक ..... जो ..... (स्थल का नाम) में पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 की कंडिका ..... अंतर्गत .....(परियोजना का नाम) की स्थापना पर पूँजीगत अनुदान स्वीकृत बावत् है । अवलोकनार्थ प्रेषित है | विवरण निम्नानुसार है :-

	ऑनलाइन आवेदन क्रमांक	
	दिनांक	
1	इकाई का नाम	
2	इकाई का डाक पता तथा दूरभाष, ईमेल, बेवसाईट फैंक्स आदि	
3	इकाई के प्रवर्तकों का नाम, पदनाम एवं मोबाईल तथा दूरभाष	
4	इकाई का स्वरूप-स्वामित्वक, पार्टनरशिप, कम्पनी आदि	
5	कम्पनी के गठन का प्रमाण पत्र/ पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	
6	प्रकरण कार्यालय में प्राप्त होने का दिनांक	
7	किस स्थल पर निर्मित है	
8	स्थापित इकाई का संक्षिप्त विवरण :	
9	इकाई द्वारा किया गया स्थायी पूँजी निवेश (रूपये में) अ/ भूमि ब/ भवन निर्माण स/ मशीनरी एवं संयंत्र द/ अन्य स्थायी परिसम्पत्तियां य/ कार्यशील पूँजी	योग
10	वित्त व्यवस्था अ/ स्वयं से ब/ बैंक/ वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण स/ बैंक/ वित्तीय संस्था का नाम	

द/ अन्य स्रोत से	
------------------	--

11/ प्रकरण का परीक्षण किया गया एवं निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार प्रमुख जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जानकारी का विवरण	रिमार्क जानकारी संलग्न अथवा नहीं तथा संलग्न जानकारी पूर्ण है अथवा नहीं
1	a) If public/private limited company copies of Memorandum and Articles of Association and company registration certificate copy.	
	Or	
	b) If partnership, a copy of partnership Deed and Certificate of Registration	
	Or	
	c) If proprietary concern, name and address of proprietor	
	d) If legal entity other the a,b,c above the details and copy of registration from competent authority.	
2	Copies of Land records and details of project site.	
	a) Ownership Documents-	
	i- Certified Khasra,	
	II. Site Map,	
	b) Title-copy of registered sale deed or lease deed	
3	Copy of project report	
4	Certificate from HRACC (if applied as per policy)	
5	Total project cost certificate certified by certified Engineer/Valuer	
6	Total capital expenditure certificate by CA with list of investments-	
7	Debt details from concerned financial institution	
8	Proof of date of commercial operation-Photocopy of first	
	A) Lodging Bill दिनांक .....	
	B) Catering Bill दिनांक .....	
	C) Activity Bill	
	D) Service Charges Bill- Whichever are applicable	
9-	Photographs (JPG Format not more than 500 KB Size) from 3 different angles	
10	Cancelled cheque of the firm/company and Vender form duly filled	
11	Copy of map approved by the local authority (Municipal Corporation, Municipality etc.) along with approval letter	
12	Copy of the building permission granted by the appropriate authority.	

13	Copy of registration/ permission by local self gov/ concerned gov. department/ regulatory authority etc.	
14	Copy of CST/VAT/GST/Service tax valid registration (whichever is applicable)	
15	PAN No copy - .....	
16	Total Subsidy Claimed by the applicant	
17	Maximum subsidy limit for the project as per policy	
18	Head wise ledger as per CA certificate	
19	Copies of Bank statement, against payments of materials bills	
20	Details of loan account Certified by bank / Financial Institution	
21	Copy of land diversion certificate (if applicable)	
22	Copy of land development permission from Town & Country planning department (if applicable)	
23	Copy of Registration under Shop Establishment act (if applicable)	
24	List of Employees as per format annexure 4 with their copies of Aadhaar card	
25	Copy of registration under Food safety standard act (if applicable)	
26	Copy of NOC from Pollution Control board under consent to operate.	
27	Copy of registration under Fire safety standard act (if applicable)	
28	Completion Certificate from competitive authority.	
29	Any other information furnished by the applicant	

इकाई से प्राप्त आवेदन का परीक्षण पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 की कंडिका .....  
 .....(परियोजना का नाम) ..... श्रेणी अंतर्गत किया गया है। शासनादेश क्रमांक .....  
 दिनांक ..... अंतर्गत निर्धारित चेकलिस्ट अनुसार इकाई के प्रकरण में दस्तावेज पूर्ण/ अपूर्ण  
 हैं।

दस्तावेज अपूर्ण होने की स्थिति में, अपूर्ण/ त्रुटिपूर्ति दस्तावेज की सूची :-

- 1-
- 2-
- 3-

(अपूर्ण/ त्रुटिपूर्ति दस्तावेज की प्राप्ति हेतु नियमानुसार समय देते हुए पत्र प्रारूप प्रस्तुत करें।)

वरिष्ठ प्रबंधक /प्रबंधक/ सहायक प्रबंधक

संयुक्त संचालक/ संचालक (नि.स.)

537

**निरीक्षण पत्र**

क्रमांक...../...../एमपीटीबी/आईपी/पू. अनु./निरी./2022, भोपाल, दि. ....

प्रति,

1. श्री ..... संचालक /संयुक्त संचालक (निवेश संवर्धन), म.प्र. टूरिज्म बोर्ड ।
2. श्री ....., संचालक /उपसंचालक (वित्त), म.प्र. टूरिज्म बोर्ड ।
3. श्री ..... क्षेत्रीय प्रबंधक/प्राचार्य SHIM/FCI, संबंधित क्षेत्र, म.प्र.राज्य पर्यटन विकास निगम।
4. श्री ....., कार्यपालन यंत्री अथवा प्रतिनिधि संबंधित क्षेत्र, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम।

विषय:-पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 अंतर्गत ..... (इकाई का नाम) को .....  
(परियोजना का नाम) की स्थापना पर पूँजीगत अनुदान स्वीकृत बावत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 के अन्तर्गत आवेदक के पूँजीगत अनुदान प्रकरण के निरीक्षण करने हेतु शासन द्वारा प्रसारित आदेश क्रमांक ....., भोपाल दिनांक ..... में विहित निर्देशानुसार (प्रति संलग्न) गठित समिति में आप सदस्य हैं । अतः कृपया दिनांक ..... को निम्नलिखित प्रकरण का निरीक्षण कर निर्धारित प्रपत्र में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

1. .... (इकाई का नाम पता सहित )  
(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

संचालक  
निवेश संवर्धन

क्रमांक...../...../एमपीटीबी/आईपी/पू. अनु./निरी./2022, भोपाल, दि. ....

प्रतिलिपी:

1. प्रबंध संचालक, म.प्र. पर्यटन विकास निगम भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि सम्बंधित अधिकारियों को उक्त उल्लेखित आवेदक इकाई का निरीक्षण करने हेतु निश्चित समय एवं तिथि में उपस्थित रहने हेतु अपने स्तर से भी सूचित करने का कष्ट करें ।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक/अपर प्रबंध संचालक, म.प्र. टूरिज्म बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. श्री ....., पता:- ..... की ओर लेख है कि कृपया प्रकरण संबंधी समस्त मूल दस्तावेज अवलोकन/निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संचालक  
निवेश संवर्धन

53

**मध्यप्रदेश पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 अंतर्गत पूँजीगत अनुदान प्राप्ति हेतु इकाई स्वामी का संतुष्टि प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि पूँजीगत अनुदान हेतु आवेदक इकाई/ मेसर्स  
..... संचालक / नामांकित अधिकारी  
..... स्थान ..... के समक्ष दिनांक  
..... को पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 की कंडिका (6) तथा शासनादेश  
के अनुसार निरीक्षण समिति द्वारा भौतिक निरीक्षण तथा दस्तावेजों का सत्यापन किया गया  
है | मेरे द्वारा मान्य पूँजीगत अनुदान व्यय राशि रु. .... प्रस्तावित किया गया था  
एवं निरीक्षण में दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर राशि रु. .... पूँजीगत  
व्यय अनुदान हेतु मान्य किया गया है |

अतः निरीक्षण समिति के द्वारा किये गए निरीक्षण एवं सत्यापन से मैं पूर्णतः संतुष्ट  
हूँ |

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान .....

नाम : .....

दिनांक .....

इकाई का नाम : .....

537

मध्य प्रदेश पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 की कंडिका 6 के अंतर्गत पात्र पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना पर देय पूँजीगत अनुदान प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रियान्तर्गत गठित समिति का निरीक्षण व् अनुशंसा प्रतिवेदन ।

समिति की अनुशंसा प्रतिवेदन

मध्यप्रदेश पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 की कंडिका ..... के अंतर्गत पात्र .....(परियोजना का नाम) की स्थापना पर देय पूँजीगत अनुदान प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रियांतर्गत गठित समिति का निरीक्षण व अनुशंसा प्रतिवेदन ।

क्रं.	प्रतिवेदन के बिन्दु	प्रतिवेदित जानकारी
1.	इकाई का नाम	
2.	इकाई का डाक पता तथा दूरभाष क्रमांक, ईमेल, वेबसाइट, फैक्स आदि	
3.	इकाई किस स्थल पर निर्मित है	
4.	स्थापित इकाई का संक्षिप्त विवरण	
5.	इकाई के प्रवर्तकों का नाम, पदनाम एवं मोबाईल तथा दूरभाष क्रमांक ई-मेल व पता	
6.	इकाई की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम एवं मोबाईल तथा दूरभाष क्रमांक, ईमेल	
7.	इकाई का स्वरूप- स्वामित्वक, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, सोसायटी, प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कम्पनी आदि	
8.	कम्पनी के गठन का प्रमाण पत्र/पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक/ पार्टनरशिप डीड प्रति एवं डीड पंजीयन क्रमांक/ अन्य विधिक संगठन होने पर पंजीयन क्रमांक, दिनांक / स्वामित्वक इकाई होने पर स्वामी का नाम व पता	
9.	GST No. and date PAN no. UID No. (Aadhar No.)	
10.	समिति द्वारा इकाई के भौतिक निरीक्षण एवं दस्तावेज सत्यापन का दिनांक	

53

11.	इकाई द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय (रूपये में) सी.ए. प्रमाण पत्र अनुसार इकाई में व्यवसायिक कार्य प्रारंभ तिथि तक अ. मूल पूंजीगत व्यय ब. अन्य पूंजीगत व्यय स. कार्यशील पूंजी		
12.	वित्त व्यवस्था अ. स्वयं के स्रोत से ब. बैंक/वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण स. बैंक/ वित्तीय संस्था का नाम द. अन्य स्रोत से		
13.	अ. इकाई द्वारा अनुदान हेतु कुल प्रस्तावित मान्य पूंजीगत व्यय की राशि ब. निरीक्षण के दौरान शासनादेश अनुसार अनुदान हेतु मान्य योग्य पूंजीगत व्यय की राशि स. निरीक्षण के दौरान शासनादेश अनुसार अनुदान हेतु अमान्य योग्य पूंजीगत व्यय की राशि		
14.	परियोजना की भूमि के स्वामित्व का विवरण भूमि, खसरा, रकबा । भूमि किसके नाम पर है । यदि लीज है तो किसके द्वारा किसको दी गयी है । लीज अवधि क्या है । लीज पंजीयन का विवरण ।		
15.	परियोजना हेतु प्राप्त निर्माण अनुमतियों का विवरण नगर निकाय, नगर पालिका, स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत) ले आउट प्लान एवं बिल्डिंग प्लान की अनुमति जारी करने का क्रमांक, दिनांक व अनुमति किसके नाम से प्राप्त की गयी है ।		
16.	प्रदूषण नियंत्रण मंडल से प्राप्त अनापत्ति का विवरण पत्र क्रमांक/ दिनांक		
17.	अन्य प्राप्त अनुमतियों का ब्यौरा, पत्र क्रमांक व दिनांक		
18.	HRACC/हेरिटेज संपत्ति प्रमाणीकरण भारत शासन से प्राप्त करना आवश्यक है तो प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक, वैधता अवधि आदि		
19.	परियोजना के व्यवसायिक कार्य प्रारंभ करने का दिनांक		
20.	(a) निर्मित मुख्य अधोसंरचनाओं का विवरण		
	निर्मित क्षेत्र	संख्या क्षमता	क्षेत्रफल(वर्गमीटर)
	1. मुख्य हाल		

	2. अन्य स्थल (हॉल)		
	3. कमरे		
	4. मीटिंग हॉल		
	5. किचिन		
	6. रेस्टोरेन्ट		
	7. स्टोर		
	8. स्वीमिंगपूल		
	9. पार्किंग		
	10. सड़के/विद्युत, जल प्रदाय/जल-मल/सीवेज निकासी कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर		
	<b>(b) स्थापित अधोसंरचनाये</b> 1. यंत्र, उपकरण, टूल - 2. मशीनरी, संयंत्र - 3. एडवेंचर/ वाटर स्पोर्ट्स/ एम्यूजमेंट/ थीम पार्क/ एक्वेरियम/ कैंपिंग/ फिल्म स्टूडियो- फिल्म निर्माण आदि अधोसंरचना - <b>(c) शासन द्वारा नियत परिभाषा अनुसार अन्य निर्मित अधोसंरचनायें</b>		
21.	क्या इकाई की स्थापना अनुमोदित बिल्डिंग प्लान अनुसार की गयी है?		
22.	क्या HRACC/ हेरिटेज संपत्ति प्रमाणीकरण की शर्तों का पालन किया जा रहा है तथा निर्माण कार्य उपरोक्त अंतर्गत निर्धारित मापदंड अनुसार किया गया है (जहां लागू हो)?		
23.	क्या इकाई द्वारा प्रस्तुत जानकारी का मूल विवरण से एवं भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है?		
24.	क्या इकाई पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 में निर्धारित पात्रता मापदंडों को पूर्ण करती है?		
25.	क्या इकाई निरीक्षण दिनांक को विधिवत कार्यरत पायी गयी हैं?		
26.	अन्य विवरण/ टीप जो समिति आवश्यक समझे :-		

53

## अनुशंसा

समिति द्वारा दिनांक ..... को इकाई का निरीक्षण किया गया । इकाई पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 की कंडिका 6 ..... के पूंजीगत अनुदान हेतु पात्र है । इकाई द्वारा किये गये कुल प्रस्तावित गान्य पूंजीगत व्यय राशि रू. .... में से रू. .... अनुदान स्वीकार्य योग्य है। अतः स्वीकार्य योग्य पूंजीगत व्यय पर नियमानुसार इकाई को ..... प्रतिशत की दर से अथवा अधिकतम रूपये ..... में से जो भी न्यूनतम हो, के आधार पर रू...../-(.....) पूंजीगत अनुदान स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है । इकाई ने यह राशि उसके बैंक/वित्तीय संस्था खाता क्रमांक ....., बैंक/वित्तीय संस्था ....., IFSC Code -.....में भुगतान हेतु अनुरोध किया है।

(नाम .....)	(नाम .....)	(नाम .....)	(नाम .....)
कार्यपालन यंत्री, अथवा प्रतिनिधि संबंधित क्षेत्र म.प्र. पर्यटन वि.नि	क्षेत्रीय प्रबंधक/ प्राचार्य SHIM/FCI संबंधित क्षेत्र म.प्र.पर्यटन वि.नि	संचालक/ उपसंचालक (वित्त) म.प्र. पर्यटन बोर्ड	संचालक/ संयुक्त संचालक निवेश संवर्धन म.प्र.पर्यटन बोर्ड

57

(बृहद / मेगा /अल्ट्रा मेगा परियोजना हेतु )

### अनुशंसा

समिति द्वारा दिनांक ..... को इकाई का निरीक्षण किया गया । इकाई पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 की कंडिका 6.19 के बृहद / मेगा /अल्ट्रा मेगा परियोजना अनुसार पूंजीगत अनुदान हेतु पात्र है । इकाई द्वारा किये गये कुल प्रस्तावित मान्य पूंजीगत व्यय राशि रु. .... में से रु. .... अनुदान स्वीकार्य योग्य है। अतः स्वीकार्य योग्य पूंजीगत व्यय पर नियमानुसार इकाई को 30% अथवा अधिकतम ..... करोड़ रुपये में से जो भी न्यूनतम हो, के आधार पर रु...../- (.....) पूंजीगत अनुदान स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है ।

उक्त अनुदान स्वीकृत राशि नीति एवं नियमानुसार आगामी चार वर्ष में क्रमशः 10%, 10%, 5% एवं 5% के आधार पर वित्तीय वर्ष ..... में राशि रु...../- वित्तीय वर्ष ..... में राशि रु...../- वित्तीय वर्ष ..... में राशि रु...../- वित्तीय वर्ष ..... राशि रु...../- भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है । इकाई ने यह राशि उसके बैंक/वित्तीय संस्था खाता क्रमांक ....., बैंक/वित्तीय संस्था ....., IFSC Code -.....में भुगतान हेतु अनुरोध किया है।

### समिति सदस्यों के हस्ताक्षर

(नाम .....)	(नाम .....)	(नाम .....)	(नाम .....)
कार्यपालन यंत्री, अथवा प्रतिनिधि संबंधित क्षेत्र म.प्र. पर्यटन वि.नि	क्षेत्रीय प्रबंधक/ प्राचार्य SHIM/FCI संबंधित क्षेत्र म.प्र.पर्यटन वि.नि	संचालक/ उपसंचालक (वित्त) म.प्र. पर्यटन बोर्ड	संचालक/ संयुक्त संचालक निवेश संवर्धन म.प्र.पर्यटन बोर्ड

53

**मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल**  
**स्वीकृति आदेश**

क्रमांक...../...../एमपीटीबी/आईपी/पू.अ./2022

भोपाल, दिनांक.....

प्रति,

इकाई का नाम एवं पता, इकाई की कंपनी / फर्म नाम सहित

.....

.....

**विषय:-पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 अंतर्गत ..... (इकाई का नाम) को ..... (परियोजना का नाम) की स्थापना पर पूँजीगत अनुदान स्वीकृत बावत् ।**

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत पूँजीगत अनुदान आवेदन क्रमांक ..... दिनांक ..... के संदर्भ में अवगत कराया जाता है कि ..... (इकाई का नाम) को अनुदान हेतु पात्र माना जाकर कुल प्रस्तावित मान्य पूँजीगत व्यय राशि रु ..... में से रु. .... /- (शब्दों में ..... ) अनुदान योग्य मान्य किया जाता है । अतः नीति अनुसार अनुदान योग्य मान्य पूँजीगत व्यय पर नियमानुसार इकाई को ..... प्रतिशत अथवा रूपये .....में से जो भी न्यूनतम हो, के आधार पर रु. .... (शब्दों में ..... ) पूँजीगत अनुदान स्वीकृत किया जाता है ।

पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 की कंडिका 6.18 अनुसार इकाई के संचालन का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष (15 अप्रैल तक) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा । यह अनुदान राशि बजट उपलब्धता अनुसार आपके द्वारा दिये गये बैंक खाते में यथाशीघ्र स्थानांतरित की जायेगी । कृपया अनुदान राशि प्राप्त होते ही प्राप्ति सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें ।

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

(.....)

संचालक

निवेश संवर्धन

पृ. क्रमांक...../...../एमपीटीबी/आईपी/पू.अ./2022

भोपाल, दि.....

प्रतिलिपि:-

- 1 निज सहायक, प्रबंध संचालक/ अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल को सूचनार्थ ।
- 2 संचालक /उपसंचालक (वित्त) की ओर प्रेषित कर लेख है कि पूँजीगत अनुदान बजट शीर्ष अंतर्गत प्राप्त राशि में से स्वीकृत अनुदान राशि इकाई के वित्तीय/संस्था/ बैंक खाता क्रमांक

53

..... वित्तीयसंस्था/ बैंक ..... IFSC Code -..... में अंतरित कर निवेश  
संवर्धन प्रभाग को विवरण सहित अवगत कराने का कष्ट करें।

3 कार्यालय नस्ती ।

(.....)

संचालक

निवेश संवर्धन

57

(बृहद / मेगा /अल्ट्रा मेगा परियोजना हेतु )

## मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल

### स्वीकृति आदेश

क्रमांक...../...../एमपीटीबी/आईपी/पू.अ./2022 भोपाल, दिनांक.....

प्रति,

इकाई का नाम एवं पता, इकाई की कंपनी / फर्म नाम सहित

.....  
.....

**विषय:-पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 अंतर्गत ..... (इकाई का नाम) को ..... (परियोजना का नाम) की स्थापना पर पूँजीगत अनुदान स्वीकृत बावत् ।**

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत पूँजीगत अनुदान आवेदन क्रमांक ..... दिनांक ..... के संदर्भ में अवगत कराया जाता है कि ..... (इकाई का नाम) को अनुदान हेतु पात्र माना जाकर कुल प्रस्तावित मान्य पूँजीगत व्यय राशि रु ..... में से रु. .... /- (शब्दों में ..... ) अनुदान योग्य मान्य किया जाता है । अतः नीति अनुसार अनुदान योग्य मान्य पूँजीगत व्यय पर नियमानुसार इकाई को ..... प्रतिशत अथवा रूपये .....में से जो भी न्यूनतम हो, के आधार पर रु. .... (शब्दों में ..... ) पूँजीगत अनुदान स्वीकृत किया जाता है ।

उक्त अनुदान स्वीकृत राशि नीति एवं नियमानुसार आगामी चार वर्ष में क्रमशः 10%, 10%, 5% एवं 5% के आधार पर वित्तीय वर्ष ..... में राशि रु...../- वित्तीय वर्ष ..... में राशि रु.....वित्तीय वर्ष ..... में राशि रु.....वित्तीय वर्ष ..... में राशि रु..... भुगतान किया जायेगा ।

पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 की कंडिका 6.18 अनुसार इकाई के संचालन का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष (15 अप्रैल तक) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा । यह अनुदान राशि बजट उपलब्धता अनुसार आपके द्वारा दिये गये बैंक खाते में यथाशीघ्र स्थानांतरित की जायेगी । कृपया अनुदान राशि प्राप्त होते ही प्राप्ति सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें ।

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

(.....)

संचालक

निवेश संवर्धन

पृ. क्रमांक...../...../एमपीटीबी/आईपी/पू.अ./2022

भोपाल, दि.....

प्रतिलिपि:-

53

- 1 निज सहायक, प्रबंध संचालक/ अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल को सूचनार्थ ।
- 2 संचालक /उपसंचालक (वित्त) की ओर प्रेषित कर लेख है कि पूँजीगत अनुदान बजट शीर्ष अंतर्गत प्राप्त राशि में से स्वीकृत अनुदान राशि इकाई के वित्तीय/संस्था/ बैंक खाता क्रमांक ..... वित्तीयसंस्था/ बैंक ..... IFSC Code -..... में अंतरित कर निवेश संवर्धन प्रभाग को विवरण सहित अवगत कराने का कष्ट करें।
- 3 कार्यालय नस्ती ।

(.....)

संचालक

निवेश संवर्धन

53

शपथ पत्र

**पूँजीगत अनुदान ऋटि पूर्ति प्रकरण निराकरण बाबद**

में श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री/श्रीमती .....  
..... उम्र.....परियोजना का नाम .....  
कंपनी/ फर्म का नाम ..... पद नाम.....  
निवासी ..... प्रमाणित करते हुए घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं इकाई  
का स्वामी/पार्टनर/डायरेक्टर/पावर आफ अटॉर्नी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि हूँ एवं इकाई की ओर  
से पूँजीगत अनुदान क्लेम प्रस्तुति हेतु अधिकृत हूँ ।

मेरे द्वारा ..... (परियोजना का नाम) की स्थापना पर पूँजीगत अनुदान  
स्वीकृति हेतु आवेदन मय संलग्न दस्तावेजों के दिनांक ..... को मध्यप्रदेश  
टूरिज्म बोर्ड कार्यालय में प्रेषित किया गया था ।

इस मूल आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए अभिलेख, प्रमाणीकरण अनुमतियों आदि में  
कोई परिवर्तन नहीं है ।

अतः पूर्व प्रस्तुत मूल पूँजीगत अनुदान स्वीकृति प्रकरण आवेदन में संलग्न अभिलेखों  
के आधार पर ऋटि पूर्ति उपरांत इकाई का प्रकरण निराकरण हेतु मान्य किया जावे ।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर एवं सील

नाम

पदनाम

(रु. 100/- के नान ज्यूडीसियल स्टाम्प पेपर पर दिया जाये)

57

शपथ पत्र

**पूँजीगत अनुदान श्रेणी परिवर्तन प्रकरण निराकरण बाबद**

में श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री/श्रीमती.....  
.....उम्र.....परियोजना का नाम .....  
कंपनी/फर्म का नाम ..... पद नाम.....  
निवासी ..... प्रमाणित करते हुए घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं इकाई  
का स्वामी/पार्टनर/डायरेक्टर/पावर आफ अटॉर्नी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि हूँ एवं इकाई की ओर  
से पूँजीगत अनुदान क्लेम प्रस्तुति हेतु अधिकृत हूँ ।

मेरे द्वारा ..... (परियोजना का नाम) की स्थापना पर पूँजीगत अनुदान  
स्वीकृति हेतु आवेदन मय संलग्न दस्तावेजों के दिनांक ..... को मध्यप्रदेश  
टूरिज्म बोर्ड कार्यालय में प्रेषित किया गया था ।

इस मूल आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए अभिलेख, प्रमाणीकरण अनुमतियों आदि में  
कोई परिवर्तन नहीं है । मुझे ज्ञात है कि इकाई..... श्रेणी हेतु अनुदान की पात्रता रखती  
है जबकि आवेदन.....श्रेणी हेतु किया गया है । अतः पात्रता अनुसार श्रेणी  
परिवर्तन हेतु सहमत हूँ ।

अतः पूर्व प्रस्तुत मूल पूँजीगत अनुदान स्वीकृति प्रकरण आवेदन में संलग्न अभिलेखों  
के आधार पर श्रेणी परिवर्तन उपरांत इकाई का प्रकरण निराकरण हेतु मान्य किया जावे ।

स्थान  
दिनांक

हस्ताक्षर एवं सील  
नाम  
पदनाम

(रु. 100/- के नान ज्यूडीसियल स्टाम्प पेपर पर दिया जाये)

53

ग्राम पंचायत.. .. जिला .....

क्रमांक.....

दिनांक.....

**प्रमाणीकरण**

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ..... जनपद पंचायत .....  
जिला ..... के क्षेत्र अंतर्गत ..... (इकाई का नाम) स्थित है ।

यह इकाई मूलतः ..... (परियोजना का नाम) के रूप में संचालित है । इस इकाई  
के 10 कि.मी. की परिधि में कोई भी अन्य समकक्ष श्रेणी की पर्यटन परियोजना स्थापित एवं  
संचालित नहीं है ।

ग्राम सचिव

ग्राम सरपंच

हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

नाम.....

सील.....

सील.....

53

नगर परिषद्/ नगर पालिका .. .. जिला .. ..

क्रमांक.....

दिनांक.....

**प्रमाणीकरण**

प्रमाणित किया जाता है कि नगर परिषद्/ नगर पालिका ..... जनपद पंचायत  
..... जिला ..... के क्षेत्र अंतर्गत ..... (इकाई का नाम) स्थित है ।

यह इकाई मूलतः ..... (परियोजना का नाम) के रूप में संचालित है । इस इकाई  
के 10 कि.मी. की परिधि में कोई भी अन्य समकक्ष श्रेणी की पर्यटन परियोजना स्थापित एवं  
संचालित नहीं है ।

सक्षम अधिकारी/ प्राधिकारी

अध्यक्ष

हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

नाम.....

सील.....

सील.....

५३

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभाग ..... जिला .....

क्रमांक.....

दिनांक.....

**प्रमाणीकरण**

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत..... जनपद पंचायत .....  
जिला ..... के क्षेत्र अंतर्गत ..... (इकाई का नाम) स्थित है ।

यह इकाई मूलतः ..... (परियोजना का नाम) के रूप में संचालित है । इस इकाई  
के 10 कि.मी. की परिधि में कोई भी अन्य समकक्ष श्रेणी की पर्यटन परियोजना स्थापित एवं  
संचालित नहीं है ।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

हस्ताक्षर.....

नाम.....

सील.....

53

पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 अंतर्गत पूंजीगत अनुदान प्राप्त इकाईयों के  
लिए

**स्व प्रमाणित घोषणा पत्र**

मैं श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री/श्रीमती .....  
.....उम्र.....परियोजना का नाम .....  
..... कंपनी/फर्म का नाम ..... पद  
नाम..... निवासी ..... प्रमाणित करते हुए घोषणा  
करता हूँ/करती हूँ कि मैं इकाई का स्वामी/पार्टनर/डायरेक्टर हूँ एवं इकाई की ओर से स्व  
प्रमाणित घोषणा पत्र प्रस्तुति हेतु अधिकृत हूँ ।

इकाई द्वारा ..... होटल/रिसॉर्ट/रोप वे /हैरिटेज होटल/कन्वेंशन सेंटर की  
स्थापना पर पूंजीगत अनुदान लाभ दिनांक ..... को मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड  
कार्यालय से प्राप्त किया गया है ।

अतः पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 की कंडिका क्रमांक 6.18 (i) अनुसार मैं  
घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इकाई दिनांक ..... से संचालन प्रारंभ कर लगातार  
संचालित रही है ।

स्थान  
दिनांक

हस्ताक्षर एवं सील  
नाम  
पदनाम

53

FORMAT FOR INFORMATION TO DISBURSEMENT OF SUBSIDY SANCTIONED AMOUNT ONLINE.

## MADHYA PRADESH TOURISM BOARD

6<sup>th</sup> floor Lily Trade Wings, Jehangirabad, Bhopal-462008

### Vendor Registration Form

1	Name of Unit (in Capital Letters)	
2	Firm Name	
3	Firm Type (Govt./Pvt Ltd/ Partnership/LLP/Individual)	
4	Contact Person	
5	Address	
6	State	
7	Mobile No	
8	Email Id	
<p>If the unit has obtained loan for establishment of project, then please provide the loan account detail as below. If the unit has not availed loan then please provide the preferred account detail.                  Note :- If it is ever proved that furnishing wrong information then sanction of such subsidy shall be cancelled and the amount of subsidy shall be recovered as an area of land revenue. Managing Director, MPTB shall be competent to take decision and initiate action in this regard.</p>		
	<b>Bank Details</b>	(Cancelled cheque to be attached)
9	Account Holder Name	
10	Bank & Branch Name	
11	Account No.	
12	IFSC Code	
13	PAN *(if "No" -declaration to be signed below)	
14	GST No. (Certificate to be attached) *(if "No" - declaration to be signed below)	

Date:-----

Signature with  
Company Seal Name:

#### \* DECLARATION

- I hereby declare that our firm has not been registered under GST Act.
- I hereby declare that our firm has not been allotted PAN from Income Tax Deptt.

Signature with Company  
Seal Name:

53

**List of Employees.**

(On Letter head of Unit)

S.No.	Name of Employee	Post	Age	Permanent Resident address	Aadhaar No/ PAN Number	EPF ID Number	Bank Account number	Date of Joining

(Attached :- Copies of aadhaar card of all employees)

Seal and Signature  
(with Name,Address,Email ID and  
Contact Number of the authorised person)

Place :

Date :

53